WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY MASIK PATRIKA JULY 2024



Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; Fax: 0121-4346686

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org



Patron

Dr. Mahendra Kumar Modi

President

Dr. Ram Kumar Gupta

• Sr. Vice President

Shri G.C. Sharma

• Jr. Vice President

Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar

• Secretary / Editor

Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

• Chairman

Shri Rahul Das

• Co-Chairman

Shri Sushil Jain

Members

Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)

Shri Rakesh Kohli

Shri Trilok Anand

Shri Rajendra Singh

Shri Atul Bhushan Gupta

Co-Editor

Mr. Prashant Kumar

INDEX

- गलत आयकर रिटर्न फार्म च्ना तो मोटा जुर्माना लगेगा
- आयकर रिफंड मिलने में देर होने पर आवेदन करें
- क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने में मदद करेंगे यह तरीके
- वर्चुअल क्रेडिट कार्ड: अतिरिक्त सुरक्षा के साथ मिलेगा भुगतान की सुविधा
- एमएसएमई को एसबीआई से 45 मिनट में मिल जाएगा 50 लाख तक का कर्ज
- फास्टैग जुड़ी सेवाओं पर सेवा शुल्क भी लगेंगे
- फास्टैग व यूपीआई लाइट में अपने आप जमा हो जाएगा पैसा
- न्यूनतम मजदूरी तय करने जा रहा है केंद्र
- कई जिलों में बनेंगे नौ नए बिजलीघर
- क्या है मियावाकी विधि
- बनेगा अर्बन रीजनल एक्ट विनियमित क्षेत्र होंगे ख़त्म
- कैबिनेट के फैसले
- जोनल प्लान का दिल्ली में प्रजेंटेशन, अब होगा लागू
- अब फाइल गुम नहीं होगी, एसएसपी आफिस में ई-ऑफिस प्रणाली लागू
- नए आपराधिक कान्नों में क्राइम सीन की अनिवार्य वीडियोग्राफी
- Recommendations of 53rd GST Council Meeting
- EPS-95 पेंशनधारकों के हायर पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी

गलत आयकर रिटर्न फार्म चुना तो मोटा जुर्माना लगेगा

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और करदाताओं के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। कई बार देखने में आता है कि जानकारी के अभाव में या भूलवश गलत फॉर्म भर देते हैं। विभाग ऐसे करदाताओं को सुधार करने का मौका भी देता है। यदि कोई करदाता नोटिस मिलने के बाद भी संशोधित आईटीआर फॉर्म दाखिल नहीं करता है तो विभाग उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है और मोटा जुर्माना वसूल सकता है। इससे बचने लिए सही आरटीआर फॉर्म का चुनाव करना बेहद जरूरी है।

आयकर विभाग हर साल सात तरह के आईटीआर फॉर्म जारी करता है। करदाता अपनी व्यक्तिगत आय स्रोत, कर योग्य आय और कर कटौती के अनुसार इनमें से किसी एक का चुनाव आईटीआर दाखिल कर सकता है। सही फॉर्म का चयन करदाता की सटीक वितीय स्थिति और उसकी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करता है। कई दफा देखने में आता है कि आईटीआर दाखित करते वक्त करदाता को सही जानकारी दर्ज करनी होती है और वे गलत फॉर्म का चुनाव करके उसे दाखिल कर देते हैं।

ऐसी स्थित में आयकर विभाग संबंधित व्यक्ति को संशोधित रिटर्न (आईटीआर-यू) दाखिल करने की अनुमित देता है। आयकर अधिनियम- 1961 की धारा 139 (5) में इसका प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य आरंभिक आयकर रिटर्न में किसी भी गलती या चूक को सुधारना है। इसमें अध्रे कर रिटर्न, गलत आय स्रोत या अनदेखी की गई कटौती शामिल हो सकती है। इसके लिए शर्त यही है कि करदाता ने भूलवश गलत फॉर्म का चुनाव किया हो, जानबूझकर नहीं।

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Mfrs. of:

Pharmaceuticals Industrial Chemicals, Bulk Drugs & Drug Intermediates

Corporate Office & Works:

303-A, Industrial Area, Partapur

Meerut- 250103 (U.P.) India

Ph.: 91-121-2440711

Email: lionramkumar@gmail.com

Regd. Office:

204, M.J. Shopping Centre,

3, Veer Savarkar Block,

Shakarpur, Delhi-110092

Ph.: 91-11-22217636

देना पड़ सकता है 300% तक जुर्माना

आमतौर पर संशोधित आईटीआर दाखिल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है। अगर कर अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि करदाता ने जानबूझकर आय कम बताई है या छिपाई है और कर चोरी में शामिल है, तो आयकर प्रावधानों के अनुसार जुर्माना वसूला जा सकता है। यह जुर्माना भुगतान न व की गई क कर राशि का 100% से 300% तक हो सकता है। इन प्रावधानों और कर विभाग द्वारा आईटीआर फॉर्म में हाल ही में किए गए संशोधनों को देखते हुए, करदाताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के लिए उपयुक्त आईटीआर फॉर्म की सही पहचान करें।

कितनी भी बार किया जा सकता है संशोधन

कोई करदाता गलत दाखिल किए गए आईटीआर फॉर्म में किसी वित्तीय वर्ष में कितनी बार भी सुधार कर सकता है। विभाग ने सुधार करने की कोई निश्चित संख्या तय नहीं की है। हालांकि, समय जरूर निर्धारित है। आईटीआर-यू दाखिल करने की समय सीमा संबंधित मूल्यांकन वर्ष के अंत से 24 महीने के भीतर होती है। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2023- 24 में कोई व्यक्ति मूल्यांकन वर्ष 2021-22 और मूल्यांकन वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर-यू दाखिल कर सकता है।

सही आईटीआर फॉर्म ऐसे च्नें

आईटीआर-1

इस फॉर्म को सहज भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से वेतनभोगियों के लिए होता है। साथ ही कुल आमदनी 50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसे सहज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे भरना बहुत ही आसान होता है। इसे बिना किसी विशेषज्ञ की मदद से भी भरा जा सकता है। यह फॉर्म भरने वालों की आय के निम्न स्रोत होने चाहिए।

वेतन, पारिवारिक पेंशन, ब्याज,

- एक घर से मिलने वाला किराया
- स्त्रोतों से आय (लॉटरी से जीत और रेस के घोड़ों से आय को छोड़कर)
- 5000 रुपये तक की कृषि आय।

आईटीआर-2

ये फॉर्म उन लोगों के लिए है, जिनकी सालाना आय 50 लाख से ज्यादा है। साथ ही जिनके पास एक से ज्यादा संपत्ति है या विदेश से आमदनी हो रही है। यह फॉर्म भरने वालों की आय के निम्न स्रोत होने चाहिए।

- वेतन/पेंशन से आय
- गृह संपत्ति से आय
- अन्य स्रोतों से आय (लॉटरी से जीत और रेस के घोड़ों से आय सहित)
- प्ंजीगत लाभ, क्रिप्टोकरेंसी आदि से होने वाली आय
- कोई विदेशी आय होना।
- 5,000 से अधिक कृषि आय
- यदि कंपनी में निदेशक हैं।

आईटीआर- 3

अगर आप व्यापार कर रहे है या किसी प्रोफेशन से आमदनी आती है तो यह फॉर्म भरना होगा। अगर कोई शख्स किसी फर्म में पार्टनर है तो उसे भी यह फॉर्म भरना होता है। आय के स्त्रोत -

- मालिकाना व्यवसाय या पेशा चला रहे है।
- यदि किसी कंपनी में ट्यक्तिगत निदेशक हैं।
- यदि आपने वितीय वर्ष दौरान किसी भी समय गैर- सूचीबद्ध इक्टिवटी शेयरों में निवेश किया
 है।
- रिटर्न में गृह संपत्ति, वेतन/पेंशन और अन्य स्त्रोतों से आय शामिल हो सकती है।
- फर्म में भागीदार के रूप में किसी व्यक्ति की आय

आईटीआर- 4

इस फॉर्म को ऐसे व्यक्तिगत करदाता, एचयूएफ और फर्म (एलएलपी) को छोडकर) भर सकते हैं। जिनकी कुल सालाना आमदनी 50 लाख रूपये तक है।

- वेतन या पेंशन से 50 लाख रूपये तक की आय
- एक घर की संपत्ति से आय, 50 लाख रूपये से अधिक नहीं
- अन्य स्त्रोतों से आय 50 लाख रूपये से अधिक नहीं (लॉटरी और रेस- हॉर्स से आय को छोड़कर)
- फ्रीलांसर के तौर पर 50 लाख रूपये तक अर्जित आय
- धारा ४४एडी या ४४ एई के तहत व्यावसायिक आय
- धारा ४४एडीए के तहत पेशेवर आय

आईटीआर-5

इस फॉर्म को व्यक्तिगत करदाता, एचयूएफ या कंपनी नहीं भर सकतीं। यह कुछ संस्थाओं के लिए होता है। यह फर्मों, एलएलपी (सीमित देयता भागीदारी), एओपी (व्यक्तियों का संघ), बीओआई (व्यक्तियों का निकाय), व्यवसायिक ट्रस्ट और निवेश निधि के लिए है।

SANGAL PAPERS LTD.

Manufacturing Papers Based on Customer Needs

Newsprint Paper, Superior Kraft Paper, Construction/Pastel Paper, Envelope Grade Paper, Ribbed Kraft Paper, High Bulk Paper Writing/Printing Paper, MG poster Grades & Other Specialized Grades Paper

Regd. Office/ Works
Village Bhainsa, 22 Km.
Meerut-Mawana Road, Mawana
Ph.: 01233-271137, 271464, 271515, 27432

आईटीआर-6

यह उस कंपनी के लिए होता है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 से संबंधित छूट प्राप्त करने का दावा नहीं कर रही होती है। आयकर अधिनियम की धारा 11 का संबंध मुख्य रूप से उस प्रॉपर्टी से हासिल की गई आमदनी से है जिसका इस्तेमाल चैरिटेबल या धार्मिक उद्देश्य से किया जा रहा है।

आईटीआर- 7

वे लोग या कंपनिया जिनका कोई चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट है, राजनीतिक पार्टियां, रिसर्च से जुड़ी संस्थाएं, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, न्यूज एजेंसी आदि के लिए यह फॉर्म भरना होता है।

कर व्यवस्था का चयन जरुरी

आयकर कानून के अनुसार,नई कर व्यवस्था डिफाल्ट व्यवस्था है यानी करदाता के लिए यह पहले से ही लागू है। इसका मतलब है कि करदाता को हर साल कर स्लैब का चुनाव करना होगा। यदि कोई वेतनभोगी करदाता पुरानी व्यवस्था को चाहता है तो उसे नए वित्त वर्ष की शुरुआत में अपने नियोक्ता को इस संबंध में सूचित करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह अपने आप नई कर व्यवस्था में आ जाएगा और इसके तहत तय आयकर स्लैब के आधार पर उसके वेतन से आयकर काटा जाएगा।

संशोधित आईटीआर भरने के फायदे

सटीक कर देयता: कर देयता की गणना सटीक तरीके से की गई है, यह सही तरीके से आईटीआर दाखिल करके स्निश्चित किया जाता है। ऐसा करके कार्रवाई और जुर्माने से बच सकते हैं।

टैक्स रिफंड: उचित आरटीआर दाखिल करके करदाता रिफंड के लिए अनुरोध कर सकता है। यदि संशोधित आईटीआर दाखिल नहीं की जाती है, विभाग इस पर विचार नहीं करेगा।

वित्तीय विश्वसनीयता: करदाता आय और वित्तीय स्थिति एक सटीक आईटीआर द्वारा सत्यापित की जाती है। यह विशेष रूप जब, करदाता किसी ऋण या वीजा के लिए आवेदन करता है।

त्विरत ऋण प्रक्रियाः कई वितीय संस्थान ऋण के लिए आवेदन करते समय आयकर रिटर्न मांगते हैं। सटीक और समय पर आईटीआर दाखिल करने से ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है।

जांच की कम संभावना: जब करदाता आप सही और पूर्ण रिटर्न दाखिल करता है तो आयकर विभाग द्वारा रिटर्न की समीक्षा करने की संभावना कम हो जाती है। इस तरह समय और परेशानी बच सकता है।

सभी के लिए आईटीआर भरना जरूरी

आयकर नियमों के मुताबिक, उन सभी लोगों को आईटीआर जमा करना जरुरी है, जिनकी सकल आय मूल कर छूट की सीमा से अधिक है। कई लोगों को गलतफहमी है कि यदि उनकी सालाना आय पांच लाख रूपये से कम है तो आयकर रिटर्न भरना जरुरी नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है। कर विशेषज्ञों के अनुसार, सालाना आय पांच लाख से कम होने पर कर इसलिए नहीं देना पड़ता क्योंकि धारा 87ए के तहत 12,500 रूपये की छूट मिलती है। छूट की वास्तविक सीमा अब सिर्फ 2.5 लाख रूपये (पुरानी कर व्यवस्था में) ही है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति की आय 4.25 लाख है, जो आयकर छूट की सीमा पांच लाख रूपये से कम है। इस कारण उसे शून्य कर भरना होगा। लेकिन आय 4.25 लाख रूपये है, जो वास्तविक छूट 2.5 लाख से अधिक है, इसलिए आईटीआर दाखिल करना जरुरी है।

आयकर रिफंड मिलने में देर होने पर आवेदन करें

ऐसे करदाता जिन्हें किसी कारण से रिटर्न भरने के बाद भी समय पर रिफंड नहीं मिल पा रहा है उन सभी करदाताओं के लिए आयकर विभाग ने आवेदन की प्रक्रिया जारी की है।

आयकर विभाग का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों की शिकायतें मिल रही है कि उन्हें समय पर रिफंड पाने में परेशानी हो रही है। विभाग को ईमेल व अन्य माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं इसलिए रिफंड को लेकर विस्तृत दिशा - निर्देश जारी किए गए हैं।

करदाताओं को रिफंड पाने के लिए ई-फाईलिंग पोर्टल से सर्विस मैन्यू में जाकर रिफंड रिइश्यू ऑप्शन के बाद रिटर्न अविध, अपने बैंक खाते का चयन करना होगा, जिसमें करदाता रिफंड से जुड़ी धनराशि का भुगतान चाहता है। पोर्टल पर सत्यापन विकल्प पर क्लिक करने के बाद आधार से संलग्न मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। इसके बाद डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा।

क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने में मदद करेंगे यह तरीके

किसी व्यक्ति की कर्ज लेने के लिए योग्यता निर्धारित करने में क्रेडिट स्कोर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे सिबिल स्कोर भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कर्ज देने वाले बैंकों और अन्य वितीय संस्थानों को क्रेडिट स्कोर से अपने संभावित ग्राहक की वितीय स्थिति के बारे जानकारी मिलती है। इसी स्कोर के आधार तय किया जाता है कि संभावित ग्राहक को कर्ज, क्रेडिट कार्ड या इससे जुड़ी अन्य सेवाएं दी जाएं या नहीं। किसी भी व्यक्ति के लिए अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाए रखना जरुरी है। इससे लोन, क्रेडिट कार्ड इत्यादि मिलने में आसानी होती है। क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाए रखने में मदद करने वाले उपायों पर बिजनेस इस्क की एक रिपोर्ट....

चार क्रेडिट ब्यूरो तैयार करते है स्कोर

भारत में चार क्रेडिट ब्यूरो क्रेडिट स्कोर तैयार करते हैं। इनमें इक्विणिक्स, ट्रांसयूनियन सिबिल, एक्सपीरियन और सीआरआइएफ हाइमार्क शामिल हैं। यह क्रेडिट ब्यूरो पुनभुर्गतान, क्रेडिट उपयोगिता, कर्ज लेने के पैटर्न और क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर क्रेडिट स्कोर तय करते है।

PASWARA PAPERS LTD.

Paswara Border, N.H. 58, Delhi Road, Mohiuddinpur, Meerut (U.P.) Tel. 0121-4020444, 4056536 Web: www.paswara.com

E-mail: vk@paswara.com

A Pioneer Unit for Manufacturing of:

"MULTILAYER KRAFT PAPER, M.G. KRAFT PAPER & KRAFT BOARD"

खराब क्रेडिट स्कोर के असर

- बैंकों से नया कर्ज लेने में परेशानी होगी
- कर्ज पर ज्यादा ब्याज का भ्गतान करना पड़ेगा
- बेहतर वेतन या कमाई के बावजूद कर्ज के पहले से मंजूर आफर (प्री-अप्रूट्ड) में कमी आएगी।
- लोन के आवेदन ख़ारिज होने की संभावना ज्यादा रहती है।
- यदि लोन मिलत भी है तो वह प्रतिकूल शर्ती पर होगा।
- 750 से 799 के क्रेडिट स्कोर को काफी अच्छा माना जाता है। इस क्रेडिट स्कोर पर आकर्षक
 ब्याज दर पर लोन मिल सकता है।

300 - 900 अंक की रंज में होता है क्रेडिट स्कोर

भारत में क्रेडिट स्कोर की शुरुआत 300 अंक से होती है और यह अधिकतम 900 अंक तक होता है। 300 - 549 अंक तक के क्रेडिट स्कोर को ख़राब माना जाता है। सामान्यतया इस स्कोर पर कर्ज नहीं मिल पाता है। 550 से 649 तक के क्रेडिट स्कोर को औसत माना जाता है। इस क्रेडिट स्कोर पर कर्ज मिल सकता है लेकिन ब्याज की दर ज्यादा हो सकती है। 650 से 749 के स्कोर का अच्छा माना जाता है। इस क्रेडिट स्कोर वालो को सामान्य ब्याज दरों पर कर्ज मिल सकता है। 750 से 799 के क्रेडिट स्कोर को काफ़ी अच्छा माना जाता है। और इस स्कोर वालों को आकर्षक ब्याज दर पर लोन सकता है। 800 से 900 के क्रेडिट स्कोर को उत्कृष्ट माना जाता है और इनको बाजार से कम दर पर लोन मिल सकता है। हालांकि कर्ज लेने में क्रेडिट स्कोर के अलावा उम्र, रोजगार की स्थिति, आय या वेतन इत्यादि कारकों की भी महत्वपूर्ण होती है।

क्रेडिट स्कोर बेहतर बनाए रखने के तरीके

- क्रेडिट कार्ड प् पूरा बिल भरें और लोन की मासिक क़िस्त समय पर जमा करें। ऐसा न करने पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को ग्राहकों पर वित्तीय दबाव का पता चल जाता है और वे क्रेडिट स्कोर घटा देती हैं।
- जब आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते है तो बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान क्रेडिट ब्यूरों से आपकी क्रेडिट योग्यता के बारे में पूछताछ करते है। इसको हार्ड पूछताछ भी कहा जाता है। क्रेडिट ब्यूरो आपके बारे में मिलने वाली प्रत्येक पूछताछ के लिए क्रेडिट स्कोर को कुछ अंक

कम कर सकता है। ऐसे में क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाए रखने के लिए लोन से जुड़े आवेदन बार - बार न करें।

- यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इसका इस्तेमाल तय अनुपात में करें। इसका ज्यादा इस्तेमाल बताता है कि आप क्रेडिट पर अत्यधिक निर्भर हैं। यह आपके क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक असर डाल सकता है। क्रेडिट स्कोर बेहतर बनाए रखने के लिए क्रेडिट कार्ड उपयोग को कुल सीमा का 30 प्रतिशत से कम रखें।
- लोन चुकाने में असमर्थ हैं तो इसका सेटलमेंट (समझौता) न करें। इससे वित्तीय बोझ तो कम हो सकता है लेकिन क्रेडिट स्कोर काफी प्रभावित होता है। लोन का सेटलमेंट करने से भविष्य में कर्ज लेने में काफी कठिनाइयों करना पड़ सकता है।
- कई बार बैंक या अन्य वितीय संस्थान क्रेडिट ब्यूरो को जानकारी नहीं भेजते हैं या अपूर्ण व गलत जानकारी भेज देते है। इससे क्रेडिट स्कोर प्रभावित होता है। इससे बचने के लिए क्रेडिट स्कोर पर नियमित अंतराल पर नजर रखें और कोई भी अनियमितता पाए जाने पर क्रेडिट ब्यूरों के पास शिकायत करें।

वर्चुअल क्रेडिट कार्ड: अतिरिक्त सुरक्षा के साथ मिलेगा भुगतान की सुविधा

मौजूदा दौर में डिजिटल भुगतान के चलन के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी बढ़े हैं। ऐसे में हमारे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चोरी होने का ज्यादा खतरा रहता है। इस समस्या के बचने के लिए वर्च्अल क्रेडिट कार्ड बेहतर विकल्प है।

बैंकों की ओर से जारी वर्चुअल क्रेडिट कार्ड वास्तव में आपके वास्तविक क्रेडिट कार्ड खाते से जुड़ा हुआ अस्थायी कार्ड नंबर होता है। इसे ऑनलाइन भुगतान के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें सुरक्षा की अतिरिक्त लेयर मिलती है। वर्च्अल क्रेडिट कार्ड पाने के लिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड या एक बैंक खाता होना चाहिए। आप अपने बैंक के ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल एप के माध्यम से भी वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जनरेट कर सकते हैं।

24 से 48 घंटे तक के लिए वैलिड

वर्चुअल क्रेडिट कार्ड एक बार जेनरेट होने के बाद भौतिक कार्ड की तरह ही यूनिक कार्ड नंबर, सीवीवी और एक्सपायरी डेट के साथ आता है।

- यह संख्या अस्थायी है और आम तौर पर सिंगल लेनदेन या सीमित अविध के लिए 24 से 48
 घंटे तक के लिए वैलिड होता है।
- चूंकि, कार्ड नंबर अस्थायी है। ऐसे में इसकी डिटेल्स लोगों को पता चल भी जाए तो वे भविष्य में लेनदेन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
- यह मुख्य क्रेडिट कार्ड तक अनिधकृत पहुंच के जोखिम को कम करता है।

THE RUG REPUBLIC Live Smart, Buy Right.

Kirti Nagar/Delhi: 2/5, WHS

(150m from Kirti Nagar Fire Station)

Noida: A-32, Sector 63

(Off Nh24, Opp. Indirapuram)

MG ROAD/DELHI: M.G. Road, Ghitorni (Pillar #128)

Live.smart@tfrhome.com / www.tfrhome.com

इसलिए फायदेमंद...

धोखाधड़ी पर लगाम: वर्चुअल कार्ड में धोखाधड़ी का जोखिम कम हो जाता है। यह विशेष रूप से उन यूजर्स के लिए फायदेमंद है, जो ऑनलाइन खरीदारी करते हैं।

खर्च पर नियंत्रण: यह कार्ड यूजर्स को एक निश्चित लेनदेन सीमा निर्धारित करने की अनुमित देता है। यह खर्च को नियंत्रित करने में भी काफी मददगार होता है।

तुरंत विवरण जेनरेट की सुविधा: इसे भौतिक कार्ड की तरह साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन खरीदारी के लिए कार्ड विवरण तुरंत जनरेट कर सकते हैं।

नुकसान

वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मुख्य रूप से ऑनलाइन लेनदेन के लिए होते हैं। इन्हें इन-स्टोर खरीदारी या उन सेवाओं के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, जिनके लिए क्रेडिट कार्ड की जरूरत होती है। सभी मर्चेंट्स इसे स्वीकार नहीं करते, जो ऑनलाइन खरीदारी के समय आपके विकल्पों को सीमित करता है।

एमएसएमई को एसबीआई से 45 मिनट में मिल जाएगा 50 लाख तक का कर्ज

एसबीआई ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को कर्ज देने के लिए खासतौर से तैयार 'एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन' सुविधा लॉन्च की। इसकी मदद से छोटे कारोबारियों को 45 मिनट में 50 लाख तक का कर्ज मंजूर हो जाएगा।

एसबीआई ने आधिकारिक बयान में कहा, एमएसएमई की प्रगति को अगले पांच वर्षों में बैंक की वृद्धि और मुनाफे के साथ जोड़कर देखा गया है। एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन सुविधा में कर्ज प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया है। इससे मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं के बराबर रह जाती है। बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा, एमएसएमई इकाइयों के समृद्ध डाटा फुटप्रिंट का लाभ उठाकर हमारा लक्ष्य सबसे तेज और सहज तरीके से कर्ज देना है।

विवरण जमा होने के 10 सेकंड में मंजूरी

कर्ज की मंजूरी में आईटीआर, जीएसटी रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट जैसे स्रोतों से प्रामाणिक डाटा फुटप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है। इससे मंजूरी में लगने वाला समय घट जाता है। बैंक का दावा है कि जरूरी विवरण जमा होने के बाद 10 सेकंड के भीतर ही कर्ज की मंजूरी दे दी जाती है।

फास्टैग से जुड़ी सेवाओं पर सेवा शुल्क भी लगेंगे

फास्टैग उपलब्ध कराने वाली बैंकिंग कंपनियों ने एक जुलाई से कई तरह के नए शुल्क लगाने का फैसला लिया है। इसको लेकर उपभोक्ताओं को एसएमएस और मेल भेजे जा रहे हैं। अब उपभोक्ताओं को तीन महीने में टैग मैनेजमेंट, खाते में पैसा कम होने, भुगतान विवरण निकालने जैसे शुल्क अदा करने होंगे।

एनपीसीआई ने 20 जून को फास्टैग से जुड़ने वाले नए ग्राहकों और पुन ग्राहक को जानो (केवाईसी) सत्यापन कराने संबंधी निर्देश जारी किए। इनमें नए फास्टैग एवं पुन फास्टैग जारी करने, सिक्योरिटी डिपॉजिट और न्यूनतम रिचार्ज से जुड़ा शुल्क निर्धारित किया गया। लेकिन अब कंपनियों ने सर्विस के नाम पर कुछ अतिरिक्त शुल्क जोड़कर उपभोक्ताओं को निर्देश भेजने शुरू कर दिए हैं।

नियम कहता है कि अब कंपनियों को टोल प्लाजा पर अधिकृत केंद्र में अधिकृत एजेंट बैठाना होगा। अगर केवाईसी व अन्य अनियमितता पाई जाती है तो 10 हजार का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया गया है।

फास्टैग में तीन महीने के अंदर एक लेन-देन होना जरूरी है। अगर लेन-देन नहीं होता है तो वह निष्क्रिय हो जाएगा, जिसे सक्रिय कराने के लिए पोर्टल पर जाना होगा। यह नियम वाहन का सीमित इस्तेमाल करने वालों की परेशानी बढ़ाने वाला होगा।

एनपीसी आई द्वारा जारी नए दिशा - निर्देश

- पांच वर्ष प्राने फास्टैग को प्राथमिकता पर बदलना होगा।
- फास्टैग प्न: केवाईसी की प्रक्रिया को हर तीन वर्ष पर किया जाएगा।

- फास्टैग को वाहन के यूनिक वीआरएन, चेसिस नंबर से अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा।
- वाहन का नंबर उपलब्ध न होने पर गाड़ी का चेसिस नंबर अनिवार्य तौर पर अपलोड करना होगा।
- नए वाहन को लेने के बाद 90 दिन के अंदर वाहन का नंबर अपडेडेट करना होगा। 90 दिन के
 बाद फास्टैग हॉटलिस्ट में डाला जाएगा। उसके बाद 30 दिन में अपडेट न करने पर फास्टैग को
 बंद कर दिया जाएगा।
- फास्टैग वाहन डाटाबेस पोर्टल से सत्यापित किया जाए।
- केवाईसी करते वक्त वाहन की सामने की और साइड की साफ़ फोटो अपलोड करनी होगी।

फास्टैग व यूपीआई लाइट में अपने आप जमा हो जाएगा पैसा

टोल टैक्स का भुगतान करने के लिए फास्टैग और डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआइ लाइट का इस्तेमाल करने वालों को आरबीआइ ने बड़ी सुविधा दी है। इसके तहत फास्टैग और यूपीआइ लाइट में उपभोक्ता के बैंक खाते से अपने आप पैसा जमा हो जाएगा। अभी उपभोक्ता जरूरत पड़ने पर फास्टैग और यूपीआइ लाइट में पैसा ट्रांसफर करते है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए आरबीआइ गवर्नर शिक्तकांत दास ने कहा कि अब फास्टैग और यूपीआइ लाइट में एक निश्चित समय में निर्धारित राशि अपने आप जमा हो जाएगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को ई-मेंडेट (इलेक्ट्रॉनिक तौर पर फंड ट्रांसफर करने से पहले ग्राहकों से मंजूरी लेने की प्रक्रिया) देना होगा। ई-मेंडेट की मौजूदा व्यवस्था में फंड ट्रांसफर से 24 घंटे पहले ग्राहकों को मैसेज भेजने की अनिवार्यता को खत्म किया जा रहा है। यानी अब ग्राहक कितनी राशि और किस समय (हफ्तावार या महीने वार) फास्टैग या यूपीआइ लाइट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, इसे पहले ही निर्धारित कर सकते हैं। आरबीआइ गवर्नर ने यूपीआइ लाइट का उदाहरण देते हुए कहा कि ग्राहक इसमें एक सीमा तय कर सकता है। जैसे ही इस वालेट में जमा राशि तय सीमा से नीचे जाएगी, तुरंत ग्राहक के बैंक खाते से पहले से निर्धारित राशि यूपीआइ लाइट के वालेट में जमा हो जाएगी। इससे यूपीआइ लाइट के विस्तार में मदद मिलेगी। यूपीआइ लाइट से एक दिन में दो हजार रूपये और एक बार में अधिकतम 500 रूपये का भुगतान किया जा सकता है।

आरबीआइ ने दोनों में निश्चित अविध में बैंक खाते से पैसा ट्रांसफर की सुविधा दी

- रेपो रेट को एक बार फिर स्थिर रखने का निर्णय, सस्ते कर्ज के लिए अभी इंतजार
- आरबीआइ ने विकास दर का अन्मान 7.2 किया, महंगाई पर चौकस

न्यूनतम मजदूरी तय करने जा रहा है केंद्र

असंगठित सेक्टर में काम कर रहे श्रमिकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी का एक फ्लोर लेवल (न्यूनतम मजदूरी की सीमा) तय करने जा रही है। श्रम मंत्रालय इसकी तैयारी में जुट गया है। सभी राज्यों के लिए इस फ्लोर लेवल के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी देना अनिवार्य होगा। अभी राज्य केंद्र सरकार के न्यूनतम मजदूरी के फ्लोर लेवल को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि श्रम संबंधी विषय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं। इसलिए केंद्र व राज्य दोनों ही अपनी-अपनी सुविधा के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी तय करते हैं।

केंद्र सरकार के इस कदम से लगभग 50 करोड़ असंगठित सेक्टर के श्रमिकों को लाभ मिल सकता है। श्रम मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक केंद्र इस मामले में कानून लाने जा रहा है तािक कोई भी राज्य केंद्र की तरफ से तय न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी किसी श्रमिक को नहीं दे सके। राज्य केंद्र की तरफ से तय न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी देने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन उससे कम नहीं दे सकेगा। इससे पहले वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी के फ्लोर लेवल को अपडेट किया था जो मात्र 176 रुपए प्रतिदिन है।

INDKRAFT EXPORTS

Manufacturers and Exporters of:

Indian Handicrafts, Silk, Woollen, Viscose, Cotton Shawls, Stoles, Pareos & Scarves

Bombay Bazar, Meerut Cantt- 250001 Phone: 0121-2664103, 4034103, 4322020

> Fax: 91-121-2660063 Mobile: 9536202020 E-mail: info@indkrafts.com

श्रम मंत्रालय इस बार न्यूनतम मजदूरी की जगह न्यूनतम जीवनयापन लागत तय करने की तैयारी में है। इस काम में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की भी मदद ली जा रही है। न्यूनतम मजदूरी श्रमिकों को काम के नाम पर शोषण से बचाने के लिए तय की जाती है जबिक जीवनयापन लागत में रोटी-कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी जरूरतों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जरूरतों को भी शामिल किया जाता है।

अभी न्यूनतम औसत मजदूरी 7000-12,000 रुपए प्रतिमाह के बीच: राज्य कुशल व गैर कुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को अपडेट करते रहते हैं। राज्यों में गैर कुशल श्रमिकों के लिए अभी न्यूनतम मजदूरी औसतन 7000-12,000 रुपए प्रतिमाह के बीच है।

- केंद्र सरकार के नए कानून से असंगठित क्षेत्र के 50 करोड़ श्रमिक होंगे लाभान्वित
- सभी राज्यों को फ्लोर लेवल के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी देनी ही होगी

कई जिलों में बनेंगे नौ नए बिजलीघर

पश्चिमांचल के कई जिलों में बिजनेस प्लान 2024- 2025 के तहत नए बिजलीघरों का निर्माण किया जाएगा। इन बिजलीघरों के बनने से लाखों उपभोक्ताओं को निबार्ध विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी।

योजना के तहत सभी 14 जिलों में कार्य होगा, इसमें मेरठ में भी 5 करोड़ से अधिक के कार्य कराए जाएंगे। जिससे यहां पुराने तारों, पुराने पोल को बदला जा सकेगा। पश्चिमांचल के संभल, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर में 45.85 करोड़ रूपये खर्च कर 33/11 केवी के 9 नए बिजलीघर बनाए जाएंगे।

प्रबंध निदेशक पीवीवीएनएल ईशा दुहन ने बताया गया कि पश्चिमांचल डिस्कॉम के सभी 14 जिलों में विधुत आपूर्ति में सुधार के लिए बिजनेस प्लान 2024- 2025 के अंतर्गत विद्युत प्रणाली उच्चीकरण को कार्य योजना तैयार की गई है।

उपभोक्ताओं को बेहतर व निरंतर उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति के लिए 45.85 करोड़ रूपये की लागत से पश्चिमांचल डिस्कॉम के विभिन्न जनपदों में 33/11 केवी नए बिजली घरों का निर्माण, बिजनेस प्लान 2024- 2025 के अंतर्गत किया जाएगा।

यहां बनेंगे नए बिजली घर

संभल में 3 नए बिजली घर प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमे उपकेंद्र बहापुर देहात, कमलपुर व ततारपुर रोड पर 33/11 केवी के नए उपकेंद्र प्रस्तावित किए गए हैं मुरादाबाद में 33/11 केवी उपकेंद्र दलपतपुर और भिकनपुर के अतिभारित होने के कारण, नए उपकेंद्र दलपतपुर-2 और भिकनपुर-2 का प्रस्ताव भेजा गया है। मुजफ्फनगर में नए 33/11 केवी उपकेंद्र नई शामली रोड का प्रस्ताव उपभोक्ताओं की समस्या को दूर करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। गाज़ियाबाद में 3 नए उपकेंद्र प्रस्तावित किए गए हैं, इनमें 33/11 केवी उपकेंद्र हिंडन एयरपोर्ट के पास का प्रस्ताव रखा गया है। सिकरी मोदीनगर में और नूर नगर में उपकेंद्र प्रस्ताविक किए गए हैं।

क्या है मियावाकी विधि

यह वनीकरण के लिए एक जापानी विधि है। यह विधि जापानी वनस्पतिशास्त्री और पादप पारिस्थितिकी विशेषज्ञ प्रोफेसर अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित की गई थी।

- हाल ही में, पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में "यंग इंडिया ग्रुप' ने जापानी 'मियावाकी' पद्धिति से एक लघु वन विकसित किया है। इसके अलावा एमजीएम मेडिकल कॉलेज, इंदौर के डॉक्टरो ने भी गर्मी से निपटने के लिए मियावाकी वन की शुरुआत की है।
- इस तकनीक में हर वर्ग मीटर में देशी पेड़, झाड़िया और जमीन को ढकने वाले पौधे लगाए जाते
 है। यह विधि छोटे भूखंडों के लिए आदर्श है और इससे ऊंचे पेड़ों की घनी परत बनती है, जो जमीन पर सूर्य की रोशनी पड़ने से रोकती है।
- मियावाकी विधि से निर्मित जंगल 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं, 30 गुना घने होते है और इनमें 100 गुना अधिक जैव विविधता होती है। साथ ही अन्य वृक्षारोपणों की तुलना में मियावाकी वन पर्यावरण से 30 प्रतिशत अधिक कार्बन डाइऑक्सइड अवशोषित करता है।

बनेगा अर्बन रीजनल एक्ट विनियमित क्षेत्र होंगे ख़त्म

मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) आने वाले समय में स्पेशल एमिनिटी फ़ीस वसूलकर नक्शे पास करेगा। चार- पांच जिलों के संयुक्त रीजनल प्लान को लेकर लखनऊ में इस पर मंथन हुआ। प्रदेश के 71 विनियमित क्षेत्रों को भी ख़त्म कर इन्हें प्राधिकरणों की सीमा में शामिल किया जाएगा।

मेडा के टाउन प्लानर विजय कुमार सिंह ने बताया कि मेरठ विकास प्राधिकरण का एक्ट 1973 का है, जबिक अन्य एक्ट भी पुराने हैं। शहरों में रैपिड, मेट्रो, मेट्रोपॉलिटन सिटी के विकसित होने के कारण अब रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग एक्ट- 2023 का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस एक्ट को बनाने, रैपिड-मैट्रो आदि क्षेत्र के लिए स्पेशल एमिनिटी फ़ीस वसूलने, इसके चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव मेंबर बनने आदि को लेकर मंथन हुआ। टाउन प्लानर ने बताया कि एक्ट बनने के बाद ही प्राधिकरण को अधिकार मिल सकेंगे। इसके बाद ही प्लानिंग की अन्य गतिविधियों को रफ़्तार मिलेगी।

कैबिनेट के फैसले

प्रदेश सरकार ने नगर निगम की तर्ज पर अब छोटे शहरों के भवन स्वामियों को भी अपना गृहकर खुद तय करने की सुविधा प्रदान कर दी है। इसके लिए सरकार स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उप्र नगर पालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली- 2024 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस नियमावली के लागू होने के बाद अब नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में रहने वाले भवन स्वामी अपना गृहकर, स्वकर प्रणाली से खुद निकालकर जमा कर सकेंगे। शहरी सीमा में शामिल हुए गावों में पांच वर्ष या विकास होने तक गृहकर नहीं लिया जायेगा।

VK TYRE INDIA LIMITED

Manufacturers & Exporters of:

Automobile & Agriculture Tyres

Sybly Industrial Area, Pawanpuri, Muradnagar-201206 Mob. No.: 9568129777, 7900200100

Email: <u>info@vktyre.com</u>
Website: www.vktyre.com

इस समय प्रदेश में 17 नगर निगम, पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि नगर निगमों में अनिवार्य रूप से गृह कर की वसूली के लिए तो नियमावली है, लेकिन नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में इसके लिए कोई नियमावली नहीं थी। इसके चलते नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में अनिवार्य रूप से ग्रह कर की वसूली नहीं हो पा रही थी। साथ ही नगरीय निकायों के अध्यक्ष बोर्ड की अनुमित से ग्रह कर में मनमानी छूट भी दे देते थे। नगर पालिका व नगर पंचायतों में एकरूपता लाने के लिए सरकार ने यह नियमावली बनाई है।

क्षेत्रवार तय होंगी किराया दरें:

नगर विकास विभाग नियमावली जारी होने के बाद नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में क्षेत्रवार किराया दरें तय की जाएंगी। इसे तय करने का अधिकार नगरीय निकाय बोर्ड का होगा। क्षेत्रवार किराया दरें और भवन के निर्मित क्षेत्र को 12 से गुणा करते हुए वार्षिक किराया मूल्य (एआरवी) तय किया जाएगा। इसका कुल कितना प्रतिशत संपत्ति कर के रूप में लिया जाएगा इसे नगरीय निकाय बोर्ड स्थानीय स्तर पर तय करेंगे। जितना पुराना भवन होगा गृह कर में उतनी अधिक छूट मिलेंगी।

यूपीसीडा को निश्ल्क मिलेगी बंद पड़ी कताई मिलों भूमि

पिछले दो दशक से बंद पड़ी टैक्सफेड समूह की 11 कताई मिलों की बेकार पड़ी 871. 85 एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश राज्य औधोगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में औधोगिक विकास विभाग के इस अहम प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही सरकार ने इनकी 117.19 करोड़ रूपये की देनदारियों का भी निस्तारण कर दिया है।

अब संपत्ति के आवंटन से लेकर रजिस्ट्री तक सिंगल विंडो सुविधा

विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदि सरकारी एजेंसियों से भवन, भूखंड या फ्लैट खरीदने वालों को उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए अब उप निबंधक कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। संपत्ति का आवंटन करने वाले कार्यालय से ही रजिस्ट्री कराना भी संभव होगा। पंजीकृत दस्तावेज हासिल करने के लिए भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वह आनलाइन ई-मेल आदि के माध्यम से आवंटी को मिल जाएंगे। आवंटियों को सिंगल विंडो सुविधा

उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश आनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली-2024 को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट द्वारा किए गए निर्णय के संबंध में स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि अभी तक संपत्तियों का आनलाइन ई-पंजीकरण जैसी सुविधा राज्य में नहीं थी। ऐसे में संपत्ति का आवंटन होने के बाद आवंटी को उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए उप निबंधक कार्यालय का भी चक्कर लगाना पड़ता था।

कैबिनेट से आनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली-2024 को हरी झंडी मिलने के बाद पहले चरण में विकास प्राधिकरण, परिषद, औद्योगिक प्राधिकरणों के भवन, भूखंड या फ्लैट के आवंटियों को उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए उप निबंधक कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। आवंटी को संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए वहीं जाना पड़ेगा जहां से उसे आवंटन किया गया है।

अब खुद प्रिंट कर सकेंगे 100 रूपये तक का ई-स्टांप: अब 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के स्टांप के लिए वेंडर के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कोई भी व्यक्ति 100 रुपये तक का ई-स्टांप कहीं भी खुद प्रिंट कर हासिल कर सकेगा। प्रदेशवासियों को ई-स्टांप की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश ई-स्टांपिंग नियमावली-2013 में संशोधन किया गया है। कैबिनेट की बैठक में ई-स्टांपिंग नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि 10 रुपये के भौतिक स्टांप पेपर की छपाई-ढुलाई में जहां 16 रुपये तक का खर्च आता है।

- प्राधिकरण- परिषद से आवंटित संपत्ति की रजिस्ट्री को न जाना पड़ेगा उप निबंधक कायार्लय
- कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2024 को दी हरी झंडी

ANAMIKA UDYOG

MANUFACTURES OF:

SURGICALS DRESSINGS

Address: 61/1, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut-250002

E-mail: anamikaudyog@hotmail.com Mobile No.: 9837031861, 9927025661

जोनल प्लान का दिल्ली में प्रजेंटेशन, अब होगा लागू

मेरठ महायोजना-2031 को अब जमीन पर उतारने का काम शुरू हो गया है। रैपिड कॉरिडोर के तहत दिल्ली रोड और रूडकी रोड एनसीआरटीसी की ओर से ली एंड एसोसिएट्स ने ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति के लिए तैयार जोनल प्लान (ड्राफ्ट) का दिल्ली में प्रजेंटेशन हुआ।

रैपिड कॉरिडोर के तहत परतापुर व मोदीपुरम में स्पेशल डेवलपमेंट एरिया (एसडीए) और सात ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) जोन भी हैं। एसडीए और आईजेड का जोनल प्लान (ड्राफ्ट) ली एंड एसोसिएट्स तैयार कर लिया है। मेडा उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने बताया कि मेरठ महायोजना- 2021 जहां महज 500 वर्ग किमी की थी तो अब महायोजना- 2031 बढ़कर 1043 वर्ग किमी की हो गई है। ऐसे में शहर से लेकर देहात तक क्षेत्रों को आपस में समायोजित किया गया है। इसमें शहर पंद्रह जोन में बांटा गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली स्थित एनसीआरटीसी के दफ्तर में जोनल प्लान का कंपनी की ओर से प्रजेंटेशन दिया गया। उन्होंने बताया कि महायोजना में रैपिड कॉरिडोर को मिश्रित भू-उपयोग किया गया है। इसमें शोरूम, कॉमर्शियल काम्पलेक्स, होटल, रेस्टोरेंट तथा घर भी बनेंगे।

कंपनी की ओर से हाल ही में रियल एस्टेट, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ ही अलग- अलग क्षेत्रों के अग्रणी तथा सभी शहरवासियों से शहर को बेहतर बनाने के लिए सुझाव लिए गए थे। उपाध्यक्ष ने बताया कि टीओडी नीति के तहत आरआरटीएस कॉरिडोर पर 3200 हेक्टेयर में मिश्रित भू उपयोग रहेगा।

ये है टीओडी पॉलिसी

- आरआरटीएस कॉरिडोर के डेढ़ किमी की परिधि और आरआरटीएस स्टेशन के 500 मीटर दोनों
 ओर के क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा।
- परतापुर व मोदीपुरम दोनों छोर पर स्पेशल डेवलपमेंट एरिया होगा, जबिक स्टेशन पर इफ्लुएंस जोन होंगे। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों का बढ़ावा दिया गया है। मिश्रित भू-उपयोग के अंतर्गत काम होंगे।

ये हैं टीओडी के सात जोन

जोन -1 : 179 हेक्टेयर

जोन - 2 : 324 हेक्टेयर

जोन - 3 : 397 हेक्टेयर

जोन - 4 : 423 हेक्टेयर

जोन - 5 : 344 हेक्टेयर

जोन - 6 : 553 हेक्टेयर

जोन - 7 : 222 हेक्टेयर

अब फाइल गुम नहीं होगी, एसएसपी आफिस में ई-ऑफिस प्रणाली लागू

सभी फाइल ऑनलाइन, कहीं से भी हस्ताक्षर कर सकते है अफसर

एसएसपी ऑफिस में फाइल गुम होने का झंझट खत्म हो गया है। क्योंकि यहां ई-आफिस प्रणाली लागू हो गई है। इस प्रणाली के लागू होने के बाद शासन स्तर से आए पत्र व आफिस की विभिन्न पत्रावली खोजने में आसानी होगी। फाइल सर्वर पर हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगी। पासवर्ड डालकर एनआइसी पोर्टल पर कहीं से भी ऑनलाइन कार्य किया जा सकता है। जल्द ही थानों में भी यह प्रणाली लागू होगी लेकिन विभागीय अधिकारी या कर्मचारी ही इस प्रणाली का प्रयोग कर पाएंगे। एसएसपी, एएसपी और सभी सीओ ऑफिस में फाइलों का प्रयोग मैनुअल तरीके से बंद कर दिया गया है, यानी अब सभी कार्य पेपरलेस होंगे। ऐसे में पासपोर्ट जांच, आपराधिक फाइल, त्योहार फाइल रिकॉर्ड से लेकर पुलिसकर्मियों को अवकाश भी ऑनलाइन ही मिलेगा। सभी प्रकरणों में ऑनलाइन रिपोर्ट व निस्तारण किया जाएगा। फाइल को सर्वर पर हमेशा के लिए सुरक्षित कर कहीं से भी ऑनलाइन कार्य किया जा सकता है।

एसएसपी रोहित सजवाण ने बताया कि मेरठ पुलिस ऑफिस पूरी तरह से ई-आफिस हो गया है। इस सुविधा से समय की बचत होगी। अगर कोई भी फाइल पेंडिंग होगी तो उसकी जानकारी अफसर ऑनलाइन देख सकेंगे। अफसर भी अपने यहां डिजिटल सिग्नेचर करके फाइल कर आगे भेज सकेंगे।

ये है ई- आफिस

ई-आफिस एक डिजिटल वर्क प्लेस साल्यूशन है। इसका निर्माण एनआइसी द्वारा किया गया है। ई-आफिस प्रणाली का उद्देश्य यह है कि सभी पत्र, पत्रावली, फाइल का डिजिटलाइजेशन कर आफिस को सरलीकृत किया जा रहा है। प्रभावी और पारदर्शी कामकाज को बढ़ावा मिलेगा। यह केंद्रीय सचिवालय नियमावली पर आधारित है। इस प्रणाली के लागू होने से पुरानी फाइल, रिकॉर्ड को खोजने में अधिक समय नहीं लगेगा। फाइल ख़राब होने एंव अन्य समस्याओं जैसे आग, पानी, कीट के खतरों से भी छुटकारा मिलेगा।

नए आपराधिक कानूनों में क्राइम सीन की अनिवार्य वीडियोग्राफी

एक जुलाई से लागू हो रहे तीन अहम कानून भारतीय न्याय संहिता- 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 2023 भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। इन तीनों कानूनों के तहत जीरो एफआइआर, ऑनलाइन पुलिस शिकायत, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सामान भेजना और घृणित अपराधों में क्राइम सीन की वीडियोग्राफी अनिवार्य हो जाएगी।

SARU COPPER ALLOY SEMIS PVT. LTD.

Manufacturer & Exporters of:

Continuous Cast Cold Drawn Copper Alloy Rods & Bars in Sizes upto 160 mm to all National and International Specifications in Standard Length of 3 mt.

Saru Nagar, Sardhana Road, Meerut- 250001 Ph. No.: 0121-2556279, 2554126, 2554160

Fax: 0121-2558402 Email: sales@sarucopper.com, info@sarocopper.com

Website: www.sarucopper.com

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पिछले साल यह नए कानून संसद में पारित किए गए और उन्होंने ब्रिटिश काल क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहित और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया। तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लाने का उद्देश्य जांच और न्याय प्रणाली को सभी के लिए और सहज और सुलभ बनाना है। इस बीच अगले हफ्ते से लागू होने वाले तीनों नए आपराधिक कानूनों के लिए बुनियादी स्तर पर 40 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। इसमें 5.65 लाख पुलिस कर्मी, जेल अधिकारी भी शामिल हैं। इन सभी को इन नए कानूनों के बारे में सबको जागरूक करने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है। नए कानूनों में जांच और न्यायिक प्रक्रिया में तकनीकी दखल बढ़ने से नेशनल क्राइम रिकाईस ब्यूरो (एनसीआरबी) को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी सहायता देने की व्यवस्था की गई है। अब देश के हर एक पुलिस स्टेशन में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) ऍप्लिकेशन के तहत सभी केस दर्ज होंगे।

सहज - सुलभ जांच और त्वरित न्याय के दस अहम प्रविधान

- एक व्यक्ति सशरीर पुलिस स्टेशन में उपस्थित हुए बगैर भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से घटना की रिपोर्ट कर सकता है। इससे पुलिस को भी त्वरित कार्रवाई में मदद मिलेगी।
- नए कानून में जीरो एफआइआर की शुरुआत की गई है। पीड़ित किसी भी थाना क्षेत्र में अपनी एफआइआर दर्ज करा सकता है। पीड़ित को एफआइआर की निश्ल्क कापी भी मिलेगी।
- सशक्त जांच के लिए गंभीर आपराधिक मामलों में सुबूत जुटाने के लिए क्राइम सीन पर फारेंसिक विशेषज्ञों का जाना अनिवार्य। सुबूत एकत्र करने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य
- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में जांच एजेंसियों को दो महीने के अंदर जांच पूरी करनी होगी। 90 दिनों के अंदर पीड़ितों को केस प्रगति की नियमित अपडेट देनी होगी।
- अपराध के शिकार महिला और बच्चों को सभी अस्पतालों में फ्सर्ट एड या इलाज निशुल्क मिलने की गारंटी होगी। चुनौती भरी परिस्थितियों में भी पीड़ित जल्द ठीक हो सकेंगे।
- गवाहों की सुरक्षा व सहयोग के लिए सभी राज्य सरकारें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम लागू करेंगी। दुष्कर्म पीड़िताओं को आडियो- वीडियो माध्यम से पुलिस के समक्ष बयान दर्ज करने की छूट

- नए कानून में मामूली अपराधों के लिए दंडस्वरूप सामुदायिक सेवा की विधा शुरू। समाज के
 लिए सकारात्मक योगदान देकर दोषी अपनी गलतियों को स्धारने का काम करेगा।
- सुनवाई में देरी से बचने और न्याय की त्विरत बहाली के लिए कोई अदालत किसी मामले को अधिकतम दो बार ही स्थिगित कर सकेगी। सभी कानूनी कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हो सकेगी।
- मिहला पीड़ित की अदालती सुनवाई मिहला मिजिस्ट्रेट ही करे। अन्यथा संवेदनशील मामले में किसी मिहला की उपस्थिति में प्रष मिजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हो दर्ज
- 15 साल से कम आयु, साठ साल से अधिक और दिव्यांगों व गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन में पेश होने से छूट होगी। उन्हें पुलिस की मदद अपने निवास स्थान पर ही मिलेगी।

Recommendations of 53rd GST Council Meeting

GST Council recommends waiving interest and penalties for demand notices issued under Section 73 of the CGST Act (i.e. the cases not involving fraud, suppression or wilful misstatement, etc.) for the fiscal years 2017-18, 2018-19 and 2019-20, if the full tax demanded is paid upto 31.03.2025.

GST Council recommends the time limit to avail input tax credit w.r.t. any invoice or debit note under Section 16(4) of CGST Act, through any GSTR 3B return filed upto 30.11.2021 for FY 2017-18, 2018-19, 2019-20 and 2020-21, may be deemed to be 30.11.2021

Council has recommends monetary limit of Rs. 20 lakh for GST Appellate Tribunal, Rs. 1 crore for High Court and Rs. 2 crore for Supreme Court, for filing of appeals by the Department, to reduce litigation

GST Council recommends reduction of the quantum of pre-deposit required to be paid for filing of appeals under GST

GST Council recommends amending provisions of CGST Act to provide that the three-month period for filing appeals in GST Appellate Tribunal will start from a date to be notified by the Government

To ease the interest burden of the taxpayers, GST Council recommends to not levy interest u/s 50 of CGST Act in case of delayed filing of return, on the amount which is available in Electronic Cash Ledger (ECL) on the due date of filing of the said return

GST Council recommends sunset clause from April 1st, 2025 for receipt of any new

GST Council recommends exemption from Compensation Cess leviable on the imports in SEZ by SEZ Unit/developer for authorised operations from 1st July, 2017

GST Council recommends 12% GST on milk cans (steel, iron, aluminum) irrespective of use; Carton, Boxes And Cases of both corrugated and non-corrugated paper or paper-board; Solar cookers whether single or dual energy source; and sprinklers including fire water sprinklers.

GST Council recommends exemption of certain services provided by Indian Railways to common man and also intra railway supplies

GST Council recommends certain exemptions related to accommodation services, providing relief to students and working professionals

GST Council recommends to roll-out the biometric-based Aadhaar authentication of registration applicants on pan-India basis in a phased manner

Posted On: 22 JUN 2024 7:43PM by PIB Delhi

The 53rd GST Council met under the Chairpersonship of Union Minister for Finance & Corporate Affairs at 22-6-2024.

The GST Council *inter alia* made the following recommendations relating to changes in GST tax rates, measures for facilitation of trade and measures for streamlining compliances in GST.

A. Changes in GST Tax Rates:

I. Recommendations relating to GST rates on Goods

A. Changes in GST rates of goods

- 1. A uniform rate of 5% IGST will apply to imports of 'Parts, components, testing equipment, tools and tool-kits of aircrafts, irrespective of their HS classification to provide a fillip to MRO activities subject to specified conditions.
- 2. All milk cans (of steel, iron and aluminium) irrespective of their use will attract 12% GST.
- 3. GST rate on 'carton, boxes and cases of both corrugated and non-corrugated paper or paper-board' (HS 4819 10; 4819 20) to be reduced from 18% to 12%.
- 4. All solar cookers whether single or dual energy source, will attract 12% GST.
- 5. To amend existing entry covering Poultry keeping Machinery attracting 12% GST to specifically incorporate "parts of Poultry keeping Machinery" and to regularise past practice on 'as is where is' basis in view of genuine interpretational issues.
- 6. To clarify that all types of sprinklers including fire water sprinklers will attract 12% GST and to regularise the past practice on 'as is where is' basis in view of genuine interpretational issues.

- 7. To extend IGST exemption on imports of specified items for defence forces for a further period of five years till 30th June, 2029.
- 8. To extend IGST exemption on imports of research equipment/buoys imported under the Research Moored Array for African-Asian-Australian Monsoon Analysis and Prediction (RAMA) programme subject to specified conditions.
- 9. To exempt Compensation Cess on the imports in SEZ by SEZ Unit/developers for authorised operations w.e.f. 01.07.2017.

Other Miscellaneous Changes

- 10. To exempt Compensation cess on supply of aerated beverages and energy drinks to authorised customers by Unit Run Canteens under Ministry of Defence.
- 11. To provide Adhoc IGST exemption on imports of technical documentation for AK-203 rifle kits imported for Indian Defence forces.

II. Recommendations relating to GST rates on services

- 1. To exempt the services provided by Indian Railways to general public, namely, sale of platform tickets, facility of retiring rooms/waiting rooms, cloak room services and battery-operated car services and to also exempt the Intra-Railway transactions. The issue for the past period will be regularized from 20.10.2023 to the date of issue of exemption notification in this regard.
- 2. To exempt GST on the services provided by Special Purpose Vehicles (SPV) to Indian Railway by way of allowing Indian Railway to use infrastructure built & owned by SPV during the concession period and maintenance services supplied by Indian Railways to SPV. The issue for the past will be regularized on 'as is where is' basis for the period from 01.07.2017 till the date of issue of exemption notification in this regard.
- 3. To create a separate entry in notification No. 12/2017- CTR 28.06.2017 under heading 9963 to exempt accommodation services having value of supply of accommodation up to Rs. 20,000/- per month per person subject to the condition that the accommodation service is supplied for a minimum continuous period of 90 days. To extend similar benefit for past cases.

Other changes relating to Services

- 4. Co-insurance premium apportioned by lead insurer to the co-insurer for the supply of insurance service by lead and co-insurer to the insured in coinsurance agreements, may be declared as no supply under Schedule III of the CGST Act, 2017 and past cases may be regularized on 'as is where is' basis.
- 5. Transaction of ceding commission/re-insurance commission between insurer and reinsurer may be declared as no supply under Schedule III of CGST Act, 2017 and past cases may be regularized on 'as is where is' basis.
- 6. GST liability on reinsurance services of specified insurance schemes covered by Sr. Nos. 35 & 36 of notification No. 12/2017-CT (Rate) dated 28.06.2017 may be regularized on 'as is where is' basis for the period from 01.07.2017 to 24.01.2018.
- 7. GST liability on reinsurance services of the insurance schemes for which total premium is paid by the Government that are covered under Sr. No. 40 of notification

- No. 12/2017-CTR dated 28.06.2017 may be regularized on 'as is where is' basis for the period from 01.07.2017 to 26.07.2018.
- 8. To issue clarification that retrocession is 're-insurance of re-insurance' and therefore, eligible for the exemption under Sl. No. 36A of the notification No. 12/2017-CTR dated 28.06.2017.
- 9. To issue clarification that statutory collections made by Real Estate Regulatory Authority (RERA) are exempt from GST as they fall within the scope of entry 4 of No.12/2017-CTR dated 28.06.2017.
- 10. To issue clarification that further sharing of the incentive by acquiring bank with other stakeholders, where the sharing of such incentive is clearly defined under Incentive scheme for promotion of RuPay Debit Cards and low value BHIM-UPI transactions and is decided in the proportion and manner by NPCI in consultation with the participating banks is not taxable.

B. Measures for facilitation of trade:

- 1. Insertion of Section 128A in CGST Act, to provide for conditional waiver of interest or penalty or both, relating to demands raised under Section 73, for FY 2017-18 to FY 2019-20: Considering the difficulties faced by the taxpayers, during the initial years of implementation of GST, the GST Council recommended, waiving interest and penalties for demand notices issued under Section 73 of the CGST Act for the fiscal years 2017-18, 2018-19 and 2019-20, in cases where the taxpayer pays the full amount of tax demanded in the notice upto 31.03.2025. The waiver does not cover demand of erroneous refunds. To implement this, the GST Council has recommended insertion of Section 128A in CGST Act, 2017.
- 2. Reduction of Government Litigation by Fixing monetary limits for filing appeals under GST: The Council recommended to prescribe monetary limits, subject to certain exclusions, for filing of appeals in GST by the department before GST Appellate Tribunal, High Court, and Supreme Court, to reduce government litigation. The following monetary limits have been recommended by the Council:

GSTAT: Rs. 20 lakhs

High Court: Rs. 1 crore

Supreme Court: Rs. 2 crores

3. Amendment in Section 107 and Section 112 of CGST Act for reducing the amount of pre-deposit required to be paid for filing of appeals under GST: The GST Council recommended reducing the amount of pre-deposit for filing of appeals under GST to ease cash flow and working capital blockage for the taxpayers. The maximum amount for filing appeal with the appellate authority has been reduced from Rs. 25 crores CGST and Rs. 25 crores SGST to Rs. 20 crores CGST and Rs. 20 crores SGST. Further, the amount of pre-deposit for filing appeal with the Appellate Tribunal has been reduced from 20% with a maximum amount of Rs. 50 crores CGST and Rs. 50 crores SGST to 10 % with a maximum of Rs. 20 crores CGST and Rs. 20 crores SGST.

- 4. Applicability of Goods and Services Tax on Extra Neutral Alcohol (ENA) Taxation of ENA under GST: The GST Council, in its 52nd meeting, had recommended to amend GST Law to explicitly exclude rectified spirit/Extra Neutral Alcohol (ENA) from the scope of GST when supplied for manufacturing alcoholic liquors for human consumption. The GST Council now recommended amendment in sub-section (1) of Section 9 of the CGST Act, 2017 for not levying GST on Extra Neutral Alcohol used for manufacture of alcoholic liquor for human consumption.
- **5.** Reduction in rate of TCS to be collected by the ECOs for supplies being made through them: Electronic Commerce Operators (ECOs) are required to collect Tax Collected at Source (TCS) on net taxable supplies under Section 52(1) of the CGST Act. The GST Council has recommended to reduce the TCS rate from present 1% (0.5% CGST + 0.5% SGST/ UTGST, or 1% IGST) to 0.5 % (0.25% CGST + 0.25% SGST/UTGST, or 0.5% IGST), to ease the financial burden on the suppliers making supplies through such ECOs.
- **6. Time for filing appeals in GST Appellate Tribunal:** The GST Council recommended amending Section 112 of the CGST Act, 2017 to allow the three-month period for filing appeals before the Appellate Tribunal to start from a date to be notified by the Government in respect of appeal/ revision orders passed before the date of said notification. This will give sufficient time to the taxpayers to file appeal before the Appellate Tribunal in the pending cases.

7. Relaxation in condition of section 16(4) of the CGST Act:

a) In respect of initial years of implementation of GST, i.e., financial years 2017-18, 2018-19, 2019-20 and 2020-21:

The GST Council recommended that the time limit to avail input tax credit in respect of any invoice or debit note under Section 16(4) of CGST Act, through any return in FORM GSTR 3B filed upto 30.11.2021 for the financial years 2017-18, 2018-19, 2019-20 and 2020-21, may be deemed to be 30.11.2021. For the same, requisite amendment in section 16(4) of CGST Act, retrospectively, w.e.f. 01.07.2017, has been recommended by the Council.

b) with respect to cases where returns have been filed after revocation:

The GST Council recommended retrospective amendment in Section 16(4) of CGST Act, to be made effective from July 1st, 2017, to conditionally relax the provisions of section 16(4) of CGST Act in cases where returns for the period from the date of cancellation of registration/effective date of cancellation of registration till the date of revocation of cancellation of the registration, are filed by the registered person within thirty days of the order of revocation.

8. Change in due date for filing of return in FORM GSTR-4 for composition taxpayers from 30th April to 30th June: The GST Council recommended an amendment in clause (ii) of sub-rule (1) of Rule 62 of CGST Rules, 2017 and FORM GSTR-4 to extend the due date for filing of return in FORM GSTR-4 for composition taxpayers from 30th April to

30th June following the end of the financial year. This will apply for returns for the financial year 2024-25 onwards. The same would give more time to the taxpayers who opt to pay tax under composition levy to furnish the said return.

- 9. Amendment of Rule 88B of CGST Rules, 2017 in respect of interest under Section 50 of CGST Act on delayed filing of returns, in cases where the credit is available in Electronic Cash Ledger (ECL) on the due date of filing the said return: The GST Council recommended amendment in rule 88B of CGST Rules to provide that an amount, which is available in the Electronic Cash Ledger on the due date of filing of return in FORM GSTR-3B, and is debited while filing the said return, shall not be included while calculating interest under section 50 of the CGST Act in respect of delayed filing of the said return.
- 10. Insertion of Section 11A in CGST Act for granting power not to recover duties not levied or short-levied as a result of general practice under GST Acts: The GST Council recommended inserting a new Section 11A in CGST Act to give powers to the Government, on the recommendations of the Council, to allow regularization of non-levy or short levy of GST, where tax was being short paid or not paid due to common trade practices.
- 11. Refund of additional Integrated Tax (IGST) paid on account of upward revision in price of the goods subsequent to export: The GST Council recommended to prescribe a mechanism for claiming refund of additional IGST paid on account of upward revision in price of the goods subsequent to their export. This will facilitate a large number of taxpayers, who are required to pay additional IGST on account of upward revision in price of the goods subsequent to export, in claiming refund of such additional IGST.
 - 12. Clarification regarding valuation of supply of import of services by a related person where recipient is eligible to full input tax credit: The Council recommended to clarify that in cases where the foreign affiliate is providing certain services to the related domestic entity, for which full input tax credit is available to the said related domestic entity, the value of such supply of services declared in the invoice by the said related domestic entity may be deemed as open market value in terms of second proviso to rule 28(1) of CGST Rules. Further, in cases where full input tax credit is available to the recipient, if the invoice is not issued by the related domestic entity with respect to any service provided by the foreign affiliate to it, the value of such services may be deemed to be declared as Nil, and may be deemed as open market value in terms of second proviso to rule 28(1) of CGST Rules.
 - 13. Clarification regarding availability of Input Tax Credit (ITC) on ducts and manholes used in the network of Optical Fiber Cables (OFCs): The Council recommended to clarify that input tax credit is not restricted in respect of ducts and manhole used in network of optical fiber cables (OFCs), under clause (c) or under clause (d) of sub-section (5) of section 17 of CGST Act.
 - 14. Clarification on the place of supply applicable for custodial services provided by banks: The Council recommended to clarify that place of supply of Custodial services supplied by Indian Banks to Foreign Portfolio Investors is determinable as per Section 13(2) of the IGST Act, 2017.
 - 15. Clarification on valuation of corporate guarantee provided between related persons after insertion of Rule 28(2) of CGST Rules, 2017: GST Council

recommended amendment of rule 28(2) of CGST Rules retrospectively with effect from 26.10.2023 and issuance of a circular to clarify various issues regarding valuation of services of providing corporate guarantees between related parties. It is *inter alia* being clarified that valuation under rule 28(2) of CGST Rules would not be applicable in case of export of such services and also where the recipient is eligible for full input tax credit.

16. Clarification regarding applicability of provisions of Section 16 (4) of CGST Act, 2017, in respect of invoices issued by the recipient under Reverse Charge Mechanism (RCM): The Council recommended to clarify that in cases of supplies received from unregistered suppliers, where tax has to be paid by the recipient under reverse charge mechanism (RCM) and invoice is to be issued by the recipient only, the relevant financial year for calculation of time limit for availment of input tax credit under the provisions of section 16(4) of CGST Act is the financial year in which the invoice has been issued by the recipient.

17. Clarification on following issues to provide clarity to trade and tax officers and to reduce litigation:

- i. Clarification on taxability of re-imbursement of securities/shares as ESOP/ESPP/RSU provided by a company to its employees
- ii. Clarification on requirement of reversal of input tax credit in respect of amount of premium in Life Insurance services, which is not included in the taxable value as per Rule 32(4) of CGST Rules.
- iii. Clarification on taxability of wreck and salvage values in motor insurance claims
- iv. Clarification in respect of Warranty/ Extended Warranty provided by Manufacturers to the end customers
- v. Clarification regarding availability of input tax credit on repair expenses incurred by the insurance companies in case of reimbursement mode of settlement of motor vehicle insurance claims.
- vi. Clarification on taxability of loans granted between related person or between group companies.
- vii. Clarification on time of supply on Annuity Payments under HAM Projects.
- viii. Clarification regarding time of supply in respect of allotment of Spectrum to Telecom companies in cases where payment of licence fee and Spectrum usage charges is to be made in instalments.
- ix. Clarification relating to place of supply of goods supplied to unregistered persons, where delivery address is different from the billing address
- x. Clarification on mechanism for providing evidence by the suppliers for compliance of the conditions of Section 15(3)(b)(ii) of CGST Act, 2017 in respect of post-sale discounts, to the effect that input tax credit has been reversed by the recipient on the said amount.
- xi. Clarifications on various issues pertaining to special procedure for the manufacturers of the specified commodities, like pan masala, tobacco etc.
- 18. The Council recommended amendment in section 140(7) of CGST Act retrospectively w.e.f. 01.07.2017 to provide for transitional credit in respect of invoices pertaining to services provided before appointed date, and where invoices were received by Input Service Distributor (ISD) before the appointed date.

- 19. The Council recommended providing a new optional facility by way of FORM GSTR-1A to facilitate the taxpayers to amend the details in FORM GSTR-1 for a tax period and/ or to declare additional details, if any, before filing of return in FORM GSTR-3B for the said tax period. This will facilitate taxpayer to add any particulars of supply of the current tax period missed out in reporting in FORM GSTR-1 of the said tax period or to amend any particulars already declared in FORM GSTR-1 of the current tax period (including those declared in IFF, for the first and second months of a quarter, if any, for quarterly taxpayers), to ensure that correct liability is auto-populated in FORM GSTR-3B.
- **20.** The Council recommended that filing of annual return in **FORM GSTR-9/9A** for the FY 2023-24 may be exempted for taxpayers having aggregate annual turnover upto two crore rupees.
- 21. Amendment was recommended to be made in section 122(1B) of CGST Act retrospectively w.e.f. 01.10.2023, so as to clarify that the said penal provision is applicable only for those e-commerce operators, who are required to collect tax under section 52 of CGST Act, and not for other e-commerce operators.
- 22. The Council recommended amendment in rule 142 of CGST Rules and issuance of a circular to prescribe a mechanism for adjustment of an amount paid in respect of a demand through **FORM GST DRC-03** against the amount to be paid as pre-deposit for filing appeal.

Other measures pertaining to Law and Procedures

23. Rolling out of bio-metric based Aadhaar authentication on All-India basis: The GST Council recommended to roll-out the biometric-based Aadhaar authentication of registration applicants on pan-India basis in a phased manner. This will strengthen the registration process in GST and will help in combating fraudulent input tax credit (ITC) claims made through fake invoices.

INDRA BRICK WORKS

Manufacturers of:

MOHAN BRAND Quality Bricks and Tiles

KARTAR SINGH & SONS

Warehouses Unit's

Office:

6-B, Shambhu Nagar, Baghpat Road, Meerut City-250002

Phone: 0121-4002210

Email: rajinder 2068@yahoo.com

Works:

Malyana Before Bypass, Baghpat Road, Opp. Delhi Public School Meerut City

- Amendments in Section 73 and Section 74 of CGST Act, 2017 and insertion of a new Section 74A in CGST Act, to provide for common time limit for issuance of demand notices and orders irrespective of whether case involves fraud, suppression, willful misstatement etc., or not: Presently, there is a different time limit for issuing demand notices and demand orders, in cases where charges of fraud, suppression, willful misstatement etc., are not involved, and in cases where those charges are involved. In order to simplify the implementation of those provisions, the GST Council recommended to provide for a common time limit for issuance of demand notices and orders in respect of demands for FY 2024-25 onwards, in cases involving charges of fraud or willful misstatement and not involving the charges of fraud or willful misstatement etc. Also, the time limit for the taxpayers to avail the benefit of reduced penalty, by paying the tax demanded along with interest, has been recommended to be increased from 30 days to 60 days.
- 25. The Council recommended amendment in section 171 and section 109 of CGST Act, 2017 to provide a sunset clause for anti-profiteering under GST and to provide for handling of anti-profiteering cases by Principal bench of GST Appellate Tribunal (GSTAT). Council has also recommended the sun-set date of **01.04.2025** for receipt of any new application regarding anti-profiteering.
- 26. Amendment in Section 16 of IGST Act and section 54 of CGST Act to curtail refund of IGST in cases where export duty is payable: The Council recommended amendments in section 16 of IGST Act and section 54 of CGST Act to provide that the refund in respect of goods, which are subjected to export duty, is restricted, irrespective of whether the said goods are exported without payment of taxes or with payment of taxes, and such restrictions should also be applicable, if such goods are supplied to a SEZ developer or a SEZ unit for authorized operations.
- **27.** The threshold for reporting of B2C inter-State supplies invoice-wise in Table 5 of **FORM GSTR-1** was recommended to be reduced from Rs 2.5 Lakh to Rs 1 Lakh.
- **28.** The Council recommended that return in **FORM GSTR-7**, to be filed by the registered persons who are required to deduct tax at source under section 51 of CGST Act, is to be filed every month irrespective of whether any tax has been deducted during the said month or not. It has also been recommended that no late fee may be payable for delayed filing of Nil **FORM GSTR-7** return. Further, it has been recommended that invoice-wise details may be required to be furnished in the said **FORM GSTR-7** return.

Note: The recommendations of the GST Council have been presented in this release containing major item of decisions in simple language for information of the stakeholders. The same would be given effect through the relevant circulars/ notifications/ law amendments which alone shall have the force of law.

EPS-95 पंशनधारकों के हायर पंशन को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी

रिबस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डੀ.एल.-अ.-15062024-254724 CG-DL-E-15062024-254724

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304] No. 304]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 14, 2024/ज्येष्ठ 24, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 14, 2024/JYAISHTHA 24, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2024

सा.का.नि. 327(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम कर्मचारी पेंशन (तृतीय संशोधन) योजना, 2024 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी I
- 2. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में पैरा 5 में उपपैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(1) जहां कोई नियोक्ता पेंशन निधि में किसी अंशदान के संदाय में या अधिनियम या योजना के किसी अन्य उपबंध के अधीन देय किन्हीं प्रभारों के संदाय में चूक करता है, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या ऐसा अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया जाए, नियोक्ता से प्रतिमाह अंशदान के बकाया के एक प्रतिशत या उसके भाग की दर से नुकसानी वसूल कर सकेगा।"

[फा. सं. आर-15011/01/2022-एसएस-II]

आलोक मिश्रा, संयुक्त सचिव

3594 GI/2024

(1)

टिप्पण: कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 748(अ), तारीख 16 नवम्बर, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 2061(अ).तारीख 3 मई, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2024

- G.S.R. 327(E).—In exercise of the powers conferred by section 6A read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Pension Scheme, 1995, namely:-
- Short title and Commencement.— (1) This Scheme may be called the Employees' Pension (Third Amendment) Scheme, 2024.
 - (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Employees' Pension Scheme, 1995, in paragraph 5, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
 - "(1) Where an employer makes default in the payment of any contribution to the Employees' Pension Fund, or in the payment of any charges payable under any other provisions of the Act or the Scheme, the Central Provident Fund Commissioner or such officer as may be authorised by the Central Government by notification in the Official Gazette in this behalf, may recover damages from the employer at the rate of one per cent. of the arrear of contribution per month or part thereof."

[F. No. R-15011/01/2022-SS-II] ALOK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The Employees' Pension Scheme, 1995 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 748(E), dated the 16th November, 1995 and was last amended vide notification number G.S.R. 2061(E), dated the 3rd May, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT HUMAR JAISWAL Date: 2024 08: 15 12:34:26 - 02:30"